## Order Sheet [Contd]

Signature of Order or proceeding with Signature of presiding Parties or Pleaders where necessary

20.07.2017

पुनरीक्षणकर्ता द्वारा श्री पी.एन.भटेले अधिवक्ता। राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक श्री दीवानसिंह गुर्जर। पुनरीक्षणकर्ता की ओर से एक आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 399 सी.आर.पी.

सी का प्रस्तुत कर पुनरीक्षण याचिका को अपील में परिवर्तित करने की प्रार्थना की है।

उभयपक्ष के तर्क सुने गए। इस आदेश द्वारा उक्त आवेदनपत्र का निराकरण किया जा रहा है।

पुनरीक्षणकर्ता की ओर से आवेदनपत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना की गई है कि पुनरीक्षणकर्ता ने यह पुनरीक्षण याचिका भूलवश प्रस्तुत कर दी है, जबिक अपील प्रस्तुत की जानी चाहिए थी। अतः प्रस्तुतं पुनरीक्षण याचिका को अपील मानकर स्नवाई किये जाने की प्रार्थना की है।

पुनरीक्षणकर्ता की ओर से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक 111/2012 ई0फौ० में पारित निर्णय दिनांक 14.10.2015 से व्यथित होकर प्रस्तुत की है, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय ने जप्तशुदा राशि राजसात किये जाने के आदेश प्रदान किए गए है।

पुनरीक्षणकर्ता ने इन तर्कों पर अत्यधिक वल दिया है कि पुनरीक्षणकर्ता ने राशि जमा की थी जो दस्तावेज से सिद्ध है, किन्तु उसके उपरांत भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में राशि नहीं दिलाई है और त्रुटिवश यह पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत कर दी है, जबिक अपील प्रस्तुत की जानी थी।

दं.प्र.सं. की धारा 401 की उपधारा 5 यह स्पष्ट प्रावधान करती है कि जहाँ कोई व्यक्ति पुनरीक्षण के लिए आवेदन करता है, किन्तु वह इस गलत विश्वास पर करता हैं कि उस आदेश / निर्णय के विरूद्ध अपील नहीं होती, वहाँ न्यायालय ऐसी याचिका को अपील की अर्जी मान सकता है।

प्रश्नगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के अंतिम निराकरण में निर्णय पारित किया है। यदि आरोपी अपने आपको किसी निष्कर्ष से व्यथित मानता है तो वह दं.प्र.सं. की धारा 372 के अंतर्गत पीडित व्यक्ति होते हुए उसे अपील का अधिकार है।

पुनरीक्षणकर्ता की ओर से आधार लिया गया है कि उसने यह विश्वास रखते हुए कि आलौच्य निर्णय की कोई अपील नहीं होती है पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत कर दी है और साथ ही याचिका को अपील में परिवर्तित किये जाने की प्रार्थना की है।

अतः प्रकरण की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए एवं दं.प्र.सं. की धारा 401(5) के प्रावधान को देखते हुए प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका को आपराधिक अपील अंतर्गत धारा 372 सी.आर.पी.सी में परिवर्तित किया जाता है। वर्तमान याचिका को पुनरीक्षण याचिका की पंजी से कम कर अपील की पंजी में दर्ज किया जावे। प्रकरण अपील पर तर्क हेतु दिनांक. 23 8 17 को पेश हो। (वीरेन्द्र क्लंह राजपूत) ए०एस०जे० गोहद